

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/1684 भोपाल, दिनांक 16 /10/2018


-:: आदेश ::-

संचालनालय के आदेश क्र. 01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2018/1552, दिनांक 27.09.2018 के द्वारा डॉ.एच.के.नायक प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इंदौर के पद के प्रभार से मुक्त करते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी, इंदौर के पद पर पदस्थ किया गया है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इंदौर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला टीकाकरण अधिकारी, इंदौर के पद पर पूर्व से अन्य अधिकारी प्रभार में कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

अतः डॉ. एच.के.नायक को अस्थाई रूप से अन्य आगामी आदेश तक क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर में रिक्त उप संचालक का कार्य सम्पादित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

"अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा आदेशित"

  
16/10/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

पृ०क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/ 2018/1685

भोपाल, दिनांक 16 /10/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. अपर मुख्य सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, म०प्र।
05. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म०प्र०।
06. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. एच.के.नायक के वेतन आहरण की व्यवस्था उप संचालक के रिक्त पद से की जावे।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर म०प्र०।
08. प्राचार्य क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी जिला इंदौर म०प्र०।
10. संबंधित अधिकारियों, की ओर पालनार्थ।
11. प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म०प्र०।
12. आदेश नस्ती।



16/10/18

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०